Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 12, December-2018, ISSN 2230-7540

आदिवासी बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन: झारखण्ड के सन्दर्भ में

Mukesh Kumar*

Research Scholar

सार – ***शिक्षा मानव की एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता हैं जो उसके बौद्धिक विकास, समाज के, गाँव के, जिले के, प्रदेश के और देश के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में सहायक होती है शायद इसलिए यह कहा जाता हैं कि शिक्षावर्तमान और भविष्य के लिए अद्भुत निवेश के लॉक का मत हैं – 'पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है" बालक जन्म के समय असहाय एवं अबोध होता है। अरस्तु के अनुसार -मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, शिक्षा के आभाव में मानव जीवन की कल्पना करना असम्भव है।***

----------X----------

परिचय

आज देश में लोकतन्त्र के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित स्त्रियों की है मनुष्य की जन्म जाति शक्तियों के स्वाभाविक और सामन्जस्यपूर्ण विकास में सहयोग देती है उसकी वैयक्तिता का पूर्ण विकास करती हैं उसे अपने वातावरण से सामन्जस्य स्थापित करने में सहायक हैं उसे नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिये तैयार करती हैं और उसके व्यवहार, विचार एवं दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती हैं जो समाज देश और विश्व के लिये हितकर होता है। समाज व देश के विकास का उत्तरदायित्व परिवार पर आती हैं, वर्तमान में यह दायित्व विद्यालयों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के कन्धों पर आ गया हैं लेकिन परिवार का महत्व कम नहीं हुआ परिवार शिक्षा का प्रथम केन्द्र बिन्दु है। परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि हैं शिक्षित माता के अभाव में परिवार की शिक्षा एक दिवास्वप्न के समान होगी। अतः स्त्री (माता) शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती हैं माता ही ऐसे बालक के निर्माण में सक्षम होती हैं जो समाज और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के समर्थ होते हैं अर्थात शिक्षित नारी समूह (माताएं) ही परिवार और समाज को सुसंस्कृत बनाती हैं।

यदि समाज में प्रत्येक पुरुष की शिक्षा को स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक स्त्री की शिक्षा के महत्व को भी व्यवहारिक रूप में स्वीकार करना होगा। जिस प्रकार वर्तमान प्रजातन्त्र में वर्ग भेद के आधार पर किसी व्यक्ति को शिक्षा सुविधाओं से वंचित नही किया जा सकता। उसी प्रकार लिंग भेद के आधार पर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। समाज में किसी स्त्री को पुरूष के समान ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है समाज की उन्नति एवं प्रगति के लिए पुरूषों के समान ही स्त्रियों का सहयोग भी अत्याधिक आवश्यक है स्त्रियों में चेतना पैदा करने के लिए तथा घर एवं समाज में अपने उत्तरदायित्व के निभाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना आवश्यक है।

भूमिका

झारखण्ड यानी झार या झाड़ जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है और खण्ड यानी टुकड़े से मिलकर बना है।

अपने नाम के अनुरुप यह मूलतः एक वन प्रदेश है जो झारखंड आंदोलन के फलस्वरूप (जिसे बाद में कुछ लोगों द्वारा वनांचल आंदोलन के नाम से जाना जाता है) सृजित हुआ। झारखण्ड एक जनजातीय राज्य है। 15 नवम्बर 2000 को यह प्रदेश भारतवर्ष का 28 वां राज्य बना। बिहार के दक्षिणी हिस्से

www.ignited.in

को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। झारखण्ड का सामान्य अर्थ है झाड़ों का प्रदेश। बुकानन के अनुसार काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखण्ड कहलाता था। ऐतरेय ब्राहमण में यह 'ठपुण्ड' नाम से वर्णित है। जनजातीय क्षेत्रों के लिये झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार 13 वीं शताब्दी के एक तामपत्र में हुआ है। माहभारत काल में इस क्षेत्र का वर्णन 'ठपुण्डरिक देश' के नाम से हुआ है जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखण्ड नाम से किया है। मल्लिक मुहम्मद जायसी ने अपनी शास्वत रचना पद्मावत में झारखण्ड नाम की चर्चा की है। सम्भवतः जंगल-झाड़ की अधिकता ने ही झारखण्ड नाम को जन्म दिया ऐसा प्रतीत होता है।

बालिका शिक्षा का महत्व

प्रत्येक समाज में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। शिक्षित बालिका के बिना किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास की कल्पना नही की जा सकती है। लोकतन्त्र में बालक एवं बालिका दोनो को समान रूप से शिक्षा देते है किन्तु नेहरुजी ने स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व इसलिए दिया है। कि जिस तरह की माँ होती है। उसी तरह के संस्कार बच्चों में पड़ते है। पुरूष अपने परिवार के जीवन यापन के लिए घर से प्रायः बाहर रहते है। तथा स्त्रियों का समय घर पर ही बच्चों की देख रेख में व्यतीत होता है। जिससे माँ का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। वैसे भी वर्तमान समय में बालिका (स्त्री) के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अधिक हो गये है। क्योकि संयुक्त परिवार अधिकांशतः नही है। अकेले उसे परिवार के समस्त सदस्यों की देखरेख करनी पड़ती हैं घर की उचित देख रेख तभी कर सकती है। जब वह शिक्षित होगी, शिक्षित होने पर वह परिवार के समस्त लोगों की आवश्यकताओं और परिस्थितयों को समझकर उनका निवारण कर सकेगी। महात्मा गाँधी ने बालिका शिक्षा को बालक की शिक्षा से किन्ही भी अर्थों में हेय दृष्टि से नही देखा, स्त्री के त्याग के बिना पुरूष के सुख पाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। बालिका (स्त्री) त्याग की साक्षात मूर्ति हैं कोई बालिका (स्त्री) जब किसी कार्य में जी. जॉन से लग जाती है। तो पहाड़ को भी हिला देती है। स्त्री शिक्षा पर गाँधी जी ने कहा था बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नही किया जा सकता हैं जब तक कि स्त्री शिक्षा को गम्भीरता से न लिया जाये।

साहित्य की समीक्षा

दास आर0 सी0 (2013) - असम में प्राथमिक स्तर के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन का अध्ययन किया इस अध्ययन में यह देखा गया कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दरे बहुत उच्च थी प्राथमिक स्तर पर लडको की तुलना में लड़कियों में अपव्यय की दर बहुत अधिक थी प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दर 80.5 प्रतिशत और 86.31 प्रतिशत के बीच थी।

मण्डल जी. एल. (2014) बिहार में सार्वभौमिक निशुल्क ओर अनिबार्य प्राथमिक शिक्षा (1950-74)तक की समस्याए एवं उपायो का अध्ययन किया इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक) अर्थात 6-11 वर्ष के बच्चों के विद्यालय 96 प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध थे। विद्यालय जाने वाली जनसंख्या का 3.4 भाग जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे है इनके लिए मिडिल स्कूल (कक्षा 6 से 8) पैदल सैर की दूरी के अंतर्गत उपलब्ध थे कक्षा 1 में नामांकित प्रति 100 बच्चों में केवल 25 बच्चे कक्षा 5 में पहुचे और केवल 15 बच्चे कक्षा-8 में पहुंचे।

झा., एस. एम. (2015) ने बम्बई की मलिन एंव अनुसूचित जाति की बस्तओं का अध्ययन किया- शोधकर्ता ने मुख्य रूप से मलिन बस्तियों के विकास से सम्बन्धित समस्याओं का तथा शैक्षिक विकास कार्यों का अध्ययन किया। साथ ही शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया कि इन विकास कार्यक्रमों में यहां के निवासी कितना सहयोग प्रदान करते हैं तथा विकास की ओर इनका कितना रूझान है। इन्होंने पाया कि शिक्षा तथा विकास की ओर यहां के निवासियों का दृष्टिकोण सकारात्मक है। और 96 प्रतिशत निवासियों ने यह माना कि शिक्षा लड़के एवं लडकियों दोनो के लिए आवश्यक है। 60 प्रतिशत मलिन बस्तियों निवासियों ने यह माना कि दहेज प्रथा नही होनी चाहिए इसके विपरीत पुरूषों और स्त्रियों में कामकाज के प्रति अत्याधि कि परम्परागत दृष्टिकोण देखने में आया जिसमें कि 82 प्रतिशत यह मत पाया गया कि स्त्रियों को घर के काम काज तथा देखभाल करनी चाहिए पुरूषों को नही।

1. सिहं एन. पी. (2016) "के. वी. के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लघु कृशकों में कौशल विकास का मूल्यांकनात्मक अध्ययन करना।" इस शोधकार्य से पाया गया कि के. वी. के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिया गया कौशल ज्ञान कृशि का उत्पादन क्षेत्र में सार्थक पाया जाता

2. रूही कान्त (2017) "'प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों के पठन आदतों व लेखन कौशल पर निर्देशात्मक परामर्श के प्रभावों का अध्ययन करना।"

3. गुप्ता एस. के. (2018) "माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण का केरियर नियोजन कौशल निर्णय क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन।"

4. सिंधी एन. के (2018): "राजस्थान के विद्यालयों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन" लघुशोध प्रबंध, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

5. पटेल टी. (2018) "जनजाति महिलाओं में शिक्षा का विकास" समाजशास्त्र विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय। शोध उद्देश्य में पाया कि जनजाति महिलाओं की शिक्षा के लिए गए प्रयासों की जांच करना, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता विस्तार नामांकन एवं शैक्षिक उपलब्धि की तुलना हरियाणा राज्य के सामान्य वर्ग की महिलाओं से करना।

शोध समस्या का परिसीमन: शोधार्थी द्वारा समय, धन एवं श्रम को ध्यान में रखते हुए ही अपने लघु शोध कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया है क्योंकि समस्या का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है एवं सम्पूर्ण क्षेत्र का अध्ययन एक शोधकर्ता के लिये संभव नहीं होता है। अतः शोधार्थी द्वारा इस लघु शोध के प्रभावशाली एवं सार्थक अध्ययन के लिए निम्न रूप से परिसीमन किया जायेगा

अ) भौगोलिक दृष्टि से: शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध का क्षेत्र झारखण्ड संभाग तक ही सीमित किया जायेगा।

ब) जाति की दृष्टि से: प्रस्तुत शोध अध्ययन में आदिवासी व गैर आदिवासी दोनो जाति के शिक्षकों को ही शामिल किया जायेगा।

उद्देश्य

1- नारी को सुमाता तथा सुगृहणी बनाने की शिक्षा दी जायें।

2- स्त्रियों के लिए शि क्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाये।

3- स्त्रियों को गृह - प्रबन्ध अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिये जाये।

4- अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापको के बराबर वेतन दिया जाये।

5- ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाये जो बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिला सके।

अनुसंधान क्रियाविधि

आकड़ो के व्यवस्थापन एवं वर्गीकरण के उपरान्त सभी प्रश्नों पर अभिभावको का दृष्टिकोण जानने के लिए प्रत्येक प्रश्न का सहमत एवं असहमत प्रतिशत ज्ञात किया सभीअभिभावको के प्रत्येक प्रश्न में विचार जानने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में लिए गये प्रश्नों का योग करके निम्नलिखित क्षेत्रो का प्रतिशत ज्ञात किया।

(1) सामान्य शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

(2) गृह सम्बन्धी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

(3) समाज शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

(4) व्यवसाय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

(5) विद्यालय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण।

समूह में बाँटने के वाद समूह में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रश्नों के अलग-अलग अंकों का योगफल निकाला। प्रतिशत निकालने के लिए सकारात्मक प्रश्न के सहमत पर एक अंक और असहमत पर शून्य, एंव नकारात्मक प्रश्न के असहमत पर एक और सहमत पर शून्य और सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रश्नों में अनिश्चतता व्यक्त करने पर उस प्रश्न को कोई महत्व नही दिया गया अर्थात उन प्रश्नों को कुल प्रश्नों में से घटा कर ही विभिन्न क्षेत्रों में आये अलग-अलग प्रश्नों एवं अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिशत ज्ञात करते है। सकारात्मक प्रश्नों में समूह को सहमत योगफल और नकारात्मक प्रश्नों में समूह का असहमत योगफल जोड़कर कुल योगफल ज्ञात किया। इस योगफल से उत्तर दिये गये। प्रश्नों की कुल संख्या के अनुसार प्रतिशत ज्ञात किया जो सम्बंधित समूह का सहमत प्रतिशत होगा अर्थात अभिभावकों का वालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिशत होगा।

शोधकर्ता ने बालिका शिक्षा के प्रति समस्या अवलोकन हेतु अभिभावकों का दृष्टिकोण जानने के लिए दी गई प्रश्नावली के नकारात्मक एंव सकारात्मक प्रश्नों के अलग-अलग अंकों का योगफल निकालकर प्रतिशत निकालने के लिए सकारात्मक प्रश्न के 'हाँ पर एक और शून्य और नकारात्मक प्रश्न पर शून्य और एक अंक और यदि दोनों प्रकार के किसी प्रश्न पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर उस प्रश्न का कोई महत्व नही

www.ignited.in

दिया गया अर्थात उन प्रश्नों को कुल प्रश्नों में से घटाकर ही सकारात्मक प्रश्नों के समूह के श्हाँ के अंकों का योगफल और नकारात्मक प्रश्नों के समूह के अंकों का योगफल जोड़कर कुल योगफल ज्ञात किया।

शोधकर्ता ने वालिका शिक्षा के प्रति बालिकाओं के दृष्टिकोण सम्वन्धी आकड़ों के व्यवस्थापन एंव वर्गीकरण के उपरान्त सभी प्रश्नों पर वालिकाओं का दृष्टिकोण जान लेने के बाद एंव प्रत्येक प्रश्न में विचार जान लेने के बाद सम्मिलित रूप से विचार जानने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में लिए प्रश्नों का योग करके निम्नलिखित भागों का प्रतिशत ज्ञात किया।

(1) प्राथमिक स्तर पर विद्यालय।

(2) प्राथमिक स्तर पर उपस्थित एंव अनुशासन।

(3) प्राथमिक स्तर पर परीक्षा, अध्ययन एवं व्यवसाय।

(4) प्राथमिक स्तर पर अध्ययन।

(5) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बाधक तत्व।

झारखण्ड की सीमाएं

झारखंड की सीमाएँ उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओड़िशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटानागपुर के पठार पर अवस्थित है। कोयल, दामोदर, खड़कई और सुवर्णरेखा। स्वर्णरेखा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिये मशहूर है।

अपने आप में अनोखा राज्य है झारखण्ड

झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। द्रविड़, आर्य, एवं आस्ट्रो-एशियाई तत्वों के सम्मिश्रण का इससे अच्छा कोई क्षेत्र भारत में शायद ही दिखता है।

भूभागीय दृष्टि से झारखण्ड को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है -

(क) पाट - क्षेत्र

(ख) राँची पठार एवं उच्च हजारीबाग पठार य

(ग) निम्न हजारीबाग पठार या बाहय पठार य

(घ) राजमहल उच्च भूमि, अपरदित मैदानी भू-भाग एवं नदी घाटियों का क्षेत्र।

झारखण्ड की जनजातियाँ

2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की जनसंख्या 7,087,068 है जो राज्य की कुल जनसंख्या (26,945,829) का 26.3 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर इस राज्य का देश में चैथा स्थान है। अनुसूचित जनजातियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण हैं जैसा कि 91.7 प्रतिशत जनजातियाँ गांवों में निवास करती हैं। जनसंख्या का जिलेवार वितरण से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति की उच्चतम अनुपात (68.4 प्रतिशत) गुमला जिले के है।

अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी का आधे से अधिक जनसंख्या लोहरदगा जिले और पश्चिमी सिंहभूम जिले में हैं जबकि रांची और पाकुड़ में इनकी प्रतिशत 41.8 - 44.6 है। कोडरमा जिले में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या अनुपात 0.8 प्रतिशत और चतरा में 3.8 प्रतिशत है। झारखंड 32 आदिवासी समूह अथवा अनुसूचित जनजातियाँ रहती है

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त आकड़ो के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का अवलोकन करने पर अभिभावको एवं बालिकाओं का बालिका शिक्षा के प्रति निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए ।

1. बालिका शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर अवरोधन (29 प्रतिशत) ज्ञात हुआ।

2. बालिका शिक्षा के सभी क्षेत्रो में सकारात्मक दृष्टिकोण पाया गया। सामान्य शिक्षा के प्रति (93.5 प्रतिशत), गृह सम्बन्धी शिक्षा के प्रति - (97 प्रतिशत), समाज शिक्षा के प्रति (74 प्रतिशत) व्यवसायिक शिक्षा के प्रति (54 प्रतिशत) और विद्यालयी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (90 प्रतिशत) ज्ञात हुआ। अतः सभी क्षेत्रो में दृष्टिकोण उच्च स्तर पर सकारात्मक है।

3. प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा में निम्न समस्याओं को स्वीकार किया जैसे -निर्धनता (92 प्रतिशत), शिक्षित लड़कियों के लिए वर की समस्या (80 प्रतिशत), घरेलू कार्यो में माताध्पिता का सहयोग देना (90 प्रतिशत) विद्यालय में समुचित पढ़ाई न

www.ignited.in

होना (84 प्रतिशत) विद्यालय में जाति सम्बन्धी भेदभाव (71 प्रतिशत) समुचित सुविधाओं का अभाव (64 प्रतिशत) और महिला शिक्षकाओं का अभाव (60 प्रतिशत) ज्ञात हुआ। अतः प्राथमिक स्तर पर समस्याओं का स्तर उच्च पाया गया।

4. अधिकांश बालिकाओं (32 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि घर के कार्यों के कारण उनकी पढाई बाधित होती हैं साथ ही गरीबी, प्रेरणा का अभाव, माता पिता का शिक्षित न होना, भी बाधक तत्वों के रूप में सामने आया है। एवं अधिकांश (68 प्रतिशत) बालिकाओं का मत है। कि अधिकांश माताध्पिता केवल लड़को को ही विद्यालय भेजना चाहते है

5. अधिकांश विद्यालयों में (38 प्रतिशत) केवल एक ही शिक्षक है। व्याख्या:- बालिका शिक्षा के प्रति अधिकांश माता पिता का दृष्टिकोण सकारात्मक होते हुये भी अनेक समस्यायें हैं। उनमें से कुछ प्रत्यक्ष रूप में जैसे किताबें, स्कूल ड्रेस इत्यादि। ओर कुछ अप्रत्यक्ष रूप में जब लड़की दस साल के लगभग हो जाती हैं तो वह घर पर

6. अनुसूचित जाति के बच्चो की शिक्षा के बाधक तत्वों में मुख्य कारक माता पिता का अशिक्षित होना है।ऐसी स्थिति में अभिभावकों बच्चो से धन पर पढ़ने के लिए भी जोर नही देते है। घर पर बालिकाओं को पढ़ाई की अपेक्षा गृह कार्य करवाने पर अधिक ध्यान दिया जाता हैं। परीक्षा में अधिकांश विद्यालयों में नकल कराने का प्रतिशत बहुत कम हैं। लेकिन नकल होने या न होने से कोई अन्तर नही आता क्योकि प्राथमिक स्तर पर सरकार की यह नीति है। कि किसी भी बालकध्बालिका को अनुत्तीर्ण न किया जाये सरकार को इस नीति में बदलाव लाने की आवश्यकता हैं इसी कारण अध्यापक विद्यालय में शिक्षण कार्य पर ध्यान नही देते है।

संदर्भ

1. इन्डिया ए रिफरेन्श एनुवल, नई दिल्ली, योजना आयोग (1968 पेज 61-62

2. एजूकेशन इन रिस्टीस्पेक्ट, ए रिव्यू ऑफ दि स्पोटर्स एण्ड रिकमेन्डेशन्स ऑफ दी कमीशन्स/कमेटीज नई दिल्ली, शिक्षा मन्त्रालय (1967) पे-88

3. कान्स्टीटयूशनल एसेम्बली डिवेटस खण्ड 7, 19 नवम्बर (1948) न्यू देहली, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया

4. थर्ड आल इण्डिया एजूकेशनल सर्वे ऑफ हायर एजूकेशन (1973-74) पेज-4

5. द इण्डियन ईयर बुक ऑफ एजूकेशन (1961) नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, 1965, पेज-226.

6. दैनिक भास्कर (11 जनवरी मधुरिमा) स्त्री की यात्रा झाँसी संस्करण

7. प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर (1987) उपकार प्रकाशन, आगरा

8. प्रतियोगिता दर्पण अगस्त (1990) उपकार प्रकाशन, आगरा

9. प्रतियोगित किरण जनवरी (1994) किरण प्रकाशन पटना

10. फोर्थ फाइव इयर प्लान-ए ड्राफ्ट आउट लाइन 169-74 नई दिल्ली, प्लानिंग कमीशन, 1969

Corresponding Author

Mukesh Kumar*

Research Scholar

mukesh.dtg@gmail.com